केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/50488 दिनांक 11.07.2018

सेवा में,

श्री हरपाल सिंह राणा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 10.07.2018 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1, 2, 4 एवं 5	प्रथम एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई एवं सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की उपस्थिति, अपीलीय अधिकारी के दायित्वों, कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर एवं सूचना अधिकार नियम, 2012 जो कि http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf पर उपलब्ध है, का अवलोकन करें । इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियम उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 3	आपने अपने आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है ।
बिंदु सं. 6	कोई सूचना नहीं मांगी गई है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690